पृथ्वी संघ के संविधान की बुनियादी विशेषताएँ

प्रकाशन विभाग
विश्व संविधान एवं संसद संघ
प्रशासनिक कार्यालय: #107/1, एम के सि एस बिल्डिंग्स, मौन्ट जाय एक्स्टेन्शन, हनुमन्तनगर, बेंगलूर-560019

Secretariat@wcpa.world

पृथ्वी संघ के लिए संविधान की बुनियादी विशेषताएँ

1. पृथ्वी संघ के व्यापक कार्य:

• युद्ध को रोकना;
• सामूहिक विनाश के हथियारों को खत्म करना;
• सार्वभौमिक मानवाधिकारों की रक्षा करना;
• गरीबी को समाप्त करना;
• अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को विनियमित करना;
• जीवमंडल की रक्षा करना; और
• विश्व की उन समस्याओं का समाधान करना जो राष्ट्रों की क्षमता से परे हैं।

2. पृथ्वी संघ की बुनियादी संरचना:

• लोग और राष्ट्र एक सार्वभौमिक संघ के रूप में संगठित होते हैं, जिसमें सभी लोग और सभी राष्ट्र शामिल होते हैं ।
• पृथ्वी संघ गैर-सैन्य और लोकतांत्रिक है, जिसमें पृथ्वी के लोगों की अंतिम संप्रभुता है।
• पृथ्वी संघ की शक्तियाँ उन समस्याओं पर लागू होती हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे होती हैं।
• विश्व चुनावों और प्रशासन के लिए, पृथ्वी को 5 महाद्वीपीय प्रभागों में 20 विश्व क्षेत्रों में, जनसंख्या में बराबर +/-10% सीमा के भीतर, कुल 1000 विश्व जिलों में एकत्रित किया गया है।

3. पृथ्वी संघ के अंग:

• विश्व संसद;
• विश्व कार्यपालिका;
• विश्व प्रशासन;
• एकीकृत परिसर;
• विश्व न्यायपालिका; प्रवर्तन प्रणाली; और विश्व लोकपाल।

4. विशिष्ट शक्तियों का अनुदान:

पृथ्वी संविधान विश्व कानून, प्रशासन, शिक्षा, वित्त, नागरिक पुलिस प्रवर्तन प्रणाली, विश्व न्यायालय प्रणाली, और लोकपाल सार्वजनिक रक्षा का उपयोग करने की शक्ति प्रदान करता है ताकि विश्व कानून के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जा सके।

5. विश्व संसद:

पृथ्वी के लोग विश्व कानून के लिए पहल कर सकते हैं, और विश्व संसद से प्रस्तुत जनमत संग्रह पर मतदान कर सकते हैं। विश्व संसद तीन विधायी सदनों से मिलकर बनी है, जो विश्व कानून पर विचार, अपनाना, संशोधन और निरस्त करना है।

• पृथ्वी के लोग सीधे "विश्वनागरिकों का सदन " (हाउस ऑफ पीपल्स) का चुनाव करते हैं।
• "विश्व राष्ट्र सदन" हाउस ऑफ नेशंस की नियुक्ति या चुनाव करते हैं।
• विश्वविद्यालय के छात्र और संकाय "सलाहकारों का सदन" हाउस ऑफ काउंसलर के लिए उम्मीदवारों को नामांकन करते हैं।

6. विश्व कार्यकारिणी:

विश्व संसद एक विश्व कार्यकारिणी का चुनाव और पर्यवेक्षण करती है। विश्व कार्यकारिणी को विश्व संसद या पृथ्वी संविधान पर न तो वीटो लगाना चाहिए और न ही उसे निलंबित करना चाहिए। विश्व कार्यकारिणी के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं है।

7. विश्व प्रशासन:

30 कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष लगभग 30 मंत्रालयों के विश्व प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। मंत्रिमंडल मंत्रालयों के समन्वय के लिए महासचिव का चुनाव करता है।

8. एकीकृत परिसर:

व्यापक कार्य जो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मंत्रालय के भीतर दोहराए जाते हैं, एकीकृत परिसर की सात कार्यात्मक एजेंसियों में एकीकृत होते हैं।

9. विश्व न्यायपालिका:

विश्व न्यायपालिका में विश्व सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्रीय विश्व न्यायालय और जिला विश्व न्यायालय शामिल हैं, जिनके पास अनिवार्य क्षेत्राधिकार है जैसे: मानवाधिकार, आपराधिक मामले, सिविल मामले, संवैधानिक मामले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सार्वजनिक मामले, अपीलीय पीठ, सलाहकार पीठ और सुपीरियर ट्रिब्यूनल।

10. प्रवर्तन प्रणाली:

विश्व संसद नागरिक प्रवर्तन प्रणाली का नेतृत्व

करने के लिए विश्व अटॉर्नी जनरल का कार्यालय चुनती है। विश्व पुलिस व्यक्तिगत संदिग्ध कानून तोड़ने वालों को पकड़ती है। विश्व संसद विश्व पुलिस को नियंत्रित करती है, जो उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और तलाशी और गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त करेगी।

11. विश्व लोकपाल:
विश्व संसद मानव अधिकारों की रक्षा और उचित सरकारी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए विश्व लोकपाल परिषद और विश्व अधिवक्ता आयोग का चुनाव करती है।

12. अधिकारों का विधेयक:
अधिकारों का विधेयक अविभाज्य मानव अधिकारों की पत्याभूति (गारंटी) देता है, जिसमें नागरिक राष्ट्रों द्वारा परम्परागत रूप से पत्याभूतिकृत (गारंटीकृत) सभी अधिकार जैसे: समान अधिकार, समान संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और धर्म, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, संपत्ति, गोपनीयता, और सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध अन्य निषेध शामिल हैं।

13. निर्देशक सिद्धांत:
निर्देशक सिद्धांत सभी लोगों के लिए अतिरिक्त नागरिक अधिकारों और लाभों की सूची देते हैं।

14. सुरक्षा उपाय और आरक्षण:
14.1. पृथ्वी संघ सदस्य राष्ट्रों के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों, विधान, न्यायिक कार्यवाहियों और अन्य आंतरिक मामलों में पूर्ण विश्वास की और विश्वसनीयता की गारंटी देता है;

14.2. सदस्य राष्ट्र और पृथ्वी के लोग गैर-प्रत्यायोजित शक्तियों को सुरक्षित रखते हैं।

15. विश्व संघीय क्षेत्र और विश्व राजधानियाँ:
विश्व संसद 5 महाद्वीपीय प्रभागों में विश्व राजधानियाँ स्थापित करती है। विश्व संसद 20 विश्व क्षेत्रों में 20 विश्व संघीय क्षेत्र स्थापित करती है।

16. विश्व क्षेत्र और बाहरी संबंध:
16.1. पृथ्वी के लोगों के पास महासागरों, समुद्र तल, महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य, चंद्रमा और वायुमंडल का स्वामित्व है और पृथ्वी संघ के पास अधिकार क्षेत्र है।

16.2. पृथ्वी संघ शांतिपूर्ण बाहरी संबंध स्थापित करेगा। विश्व संसद प्रधान परिषद (प्रेसीडियम) द्वारा अनुमोदन के अधीन बाहरी संबंधों और संधियों पर समझौता करता है।

17. अनुसमर्थन और कार्यान्वयन:
पृथ्वी संविधान को चरणों में लागू किया जाता है:
• अनंतिम पृथ्वी संघ -25 देशों या विश्व की प्र.श.10% आबादी वाले विश्व जिलों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने से पहले।
• पहला परिचालन चरण, जब 25 देशों या विश्व की 10% आबादी वाले विश्व जिलों द्वारा या समतुल्य मिश्रण से अनुसमर्थन किया जाता है ।
• दूसरा परिचालन चरण, जब 50% देशों और विश्व की 50% आबादी वाले विश्व जिलों द्वारा या समतुल्य मिश्रण से अनुसमर्थन किया जाता है।
• पूर्ण परिचालन चरण, जब 80% देशों (जिसमें विश्व की 90% आबादी शामिल है) द्वारा अनुसमर्थन किया जाता है।

18. संशोधन:
लोग पृथ्वी संविधान में संशोधन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। विश्व संवैधानिक सम्मेलन कम से कम हर 20 साल में आयोजित किया जाएगा।

19. अनंतिम विश्व सरकार:
अनंतिम विश्व संसद प्रथम परिचालन चरण से पहले विश्व विधान को अपना सकती है, जो विश्व संसद द्वारा पुनः पुष्टि के अधीन है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की व्यवहार्य एजेंसियाँ पृथ्वी संघ में एकीकृत होती हैं।

****

पृथ्वी संघ के लिए संविधान को 1968, 1977, 1979 और 1991 में दुनिया भर में आयोजित विश्व संविधान सभा के 4 सत्रों द्वारा विकसित करके अपनाया गया था। इसे https://earthconstitution.world/text-of-the-earth-constitution/ पर पूर्ण रूप से देखा जा सकता है।

“मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि विश्व सरकार अवश्य आनी चाहिये और आएगी भी, क्योंकि दुनिया की बीमारी का कोई और इलाज नहीं है। यह संघीय सिद्धांत का विस्तार हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्निहित विचार का विकास हो सकता है, जो प्रत्येक राष्ट्रीय इकाई को अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने भाग्य को आकार देने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमेशा विश्व सरकार की मूल वाचा के अधीन रहता है।”

पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री